



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

		<p>Office of the Chief Commercial Manager, Bilaspur- 495004 (C.G)</p>
<p>दर परिपत्र स. 92(मालमाड़ा)/2017</p>		<p>Rates Circular No.92(G)/2017</p>

सं No.C/SECR/BSP/CLSF/Policy /Pt./ 2500

दिनांक /Date: 12/05/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक,/Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक,/Chief Commercial Control विलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर/ARMs भिलाई, कोरबा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO विलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी)/Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए) द.पू.म.रे. विलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालमाड़ा यातायात प्रबंधक,/CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे. विलासपुर।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी,/Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, विलासपुर।
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुवली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।
कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता
सीएओ(एफओआईएस), कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,
महाप्रबंधक, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, ओसीसी, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,
कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।


विषय /Sub:- Conveyance of explosives and other dangerous goods by Rail.

उपर्युक्त विषय से संबंधित रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TC-I/2015/8/2 दिनांक 11/05/2017 का पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है जो कि आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है:-

The rules for conveyance of explosives and other dangerous goods are prescribed in Red Tariff No.20. As per the extant rules certain commodities namely Chlorate Mixture, Fulminate, Fire Works etc. are not authorized for transport.

Divisions are advised that booking and transportation of explosives and other dangerous goods may be done as per the rules prescribed in Red Tariff No.20 (as amended from time to time).

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।



(एस. एम. गोन्डाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/पण्य
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबंधक